

B

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 196] नई दिल्ली, बुधवार, जून 6, 1984/ज्येष्ठ 16, 1906
No. 196] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 6, 1984/JYAISTHA 16, 1906

इस भाग में सम्मिलित सूचना का जाता है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

• अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 1984

सं 173/84-सीमाशुल्क

सा.का नि. 432(अ) —केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1984 (1984 का 21) की धारा 36 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भर्त्सना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 135/84-सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1984 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना से उपाद्ध अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

“अनुसूची

1. सं. 134-सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977
2. सं. 399-सीमाशुल्क, तारीख 15 फरवरी, 1979
3. सं. 200-सीमाशुल्क, तारीख 28 सितम्बर, 1979” ।

[फा. सं. 346/38/84-टीनारम्]

सी. वरदाराजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 1984

No. 173/84-CUSTOMS

G.S.R. 432(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 36 of the Finance Act, 1984 (21 of 1984), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 135/84-Customs, dated the 11th May, 1984, namely :—

For the Schedule annexed to the said notification, the following Schedule shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE

1. No. 134-Customs, dated the 1st July, 1977.
2. No. 39-Customs, dated the 15th February, 1979.
3. No. 200-Customs, dated the 28th September, 1979.”.

[F. No. 346/38/84-TRU]

C. VARADARAJAN, Under Secy.